सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 3, मंगलवार, शाके 1944-मई 24, 2022
Jyaistha 3, Tuesday , Saka 1944- May 24, 2022

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक 24 मई, 2022

संख्या डी–355 एफ.3(1)(5)।/निर्वा/2022:– विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) भारत सरकार की दिनांक 24 मई, 2022 की निम्न अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ पुनः प्रकाशित की जाती है।

प्रवीण गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
***

नई दिल्ली, 24 मई, 2022

अधिसूचना

का.आ.(अ).--राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य सभा के ऐसे सदस्य (सदस्यों) के स्थान (स्थानों) को भरने के प्रयोजन के लिए, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को निवृत्त हो रहे हैं, उनकी पदावधि के अवसान पर, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य (सदस्यों) को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं :--

सारणी

क्र0सं0	**राज्य का नाम**	**भरे जाने वाले स्थानों की संख्या**	**निवृत्ति की तारीख**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	आंध्र प्रदेश	04	21.06.2022
2.	तेलंगाना	02	21.06.2022

3.	छत्तीसगढ़	02	29.06.2022
4.	मध्य प्रदेश	03	29.06.2022
5.	तमिलनाडु	06	29.06.2022
6.	कर्नाटक	04	30.06.2022
7.	ओडिशा	03	01.07.2022
8.	महाराष्ट्र	06	04.07.2022
9.	पंजाब	02	04.07.2022
10.	राजस्थान	04	04.07.2022
11.	उत्तर प्रदेश	11	04.07.2022
12.	उत्तराखंड	01	04.07.2022
13.	बिहार	05	07.07.2022
14.	झारखंड	02	07.07.2022
15.	हरियाणा	02	01.08.2022

[फा0सं0 एच-11024/2/2021-वि.2]

दिवाकर सिंह,

संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी।

Government of India
Ministry of Law and Justice
(Legislative Department)
***

New Delhi, the 24th May, 2022

Notification

S.O…… (E).— In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State specified in column (2) of the Table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the number of member(s) specified against each State in column (3) of the said Table, for the purpose of filling the seat(s) of member(s) of the Council of States whose term of office is due to expire on the date mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, on the expiration of their term of office:-

TABLE

Sl.No.	Name of State	No of seats to be filled	Date of retirement
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Andhra Pradesh	04	21.06.2022
2.	Telangana	02	21.06.2022
3.	Chhattishgarh	02	29.06.2022
4.	Madhya Pradesh	03	29.06.2022
5.	Tamil Nadu	06	29.06.2022
6.	Karnataka	04	30.06.2022
7.	Odisha	03	01.07.2022
8.	Maharashtra	06	04.07.2022
9.	Punjab	02	04.07.2022
10.	Rajasthan	04	04.07.2022
11.	Uttar Pradesh	11	04.07.2022
12.	Uttarakhand	01	04.07.2022
13.	Bihar	05	07.07.2022
14.	Jharkhand	02	07.07.2022
15.	Haryana	02	01.08.2022

[F.No.H.11024/2/2021-Leg.II]

Diwakar Singh,
Joint Secretary & Legislative Counsel.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।